E:\Establishment\A3\A3Latter 320

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांकःएफ.1(3)(01)/स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/ 106778-107114 जयपुर,दिनांकः 9.8.16

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त
बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त

विषयः—मृत राज्य कर्मचारीयो के आश्रितो को अनुकम्पानियुक्ति नियम 1996, के अन्तगर्त दिनांक 05.07.10 से पूर्व नियुक्ति कार्मिको द्वारा टाईपराईडर यंत्र पर टकंण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने के सबंध में।

प्रसगः—कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपंत्र प.3(1)कार्मिक(क–2)/2013/ दिनांक 24.06.16 एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के परिपत्र क्रमांक 363–588 दिनांक 14.07.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक(क–2) विभाग के प्रसांगिक पत्र द्वारा मृत राज्य कर्मचारीयो के आश्रितो के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त (कनिष्ठ लिपिक) ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 05.07.10 से पूर्व हुई है। तथा जिन्होने टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर यंत्र पर देने का विकल्प चुना है और अभी तक टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नही की है उन कनिष्ठ लिपिको को टंकण गति परीक्षा में बैठने हेतु अंतिम अवसर की स्वीकृति दिये जाने के कम में भाषा एव पुस्तकालय विभाग द्वारा आयोजित टंकण गति परीक्षा (टाईपराइटर यंत्र पर) में सम्मलित होने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इस सबंध में भविष्य में किसी भी कार्मिक को टाईपराईटर यंत्र पर टंकण गति परीक्षा का विकल्प प्रदान नही किया जायेगा। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा ऐसे कनिष्ठ लिपिको को टाईपराईटर यत्रं पर अंतिम टंकण गति परीक्षा हेतु भाषा विभाग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31.12.16 निर्धारित की गई है।

अतः आपके अधीन कार्यरत ऐसे सभी अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ लिपिक जिनकी नियुक्ति 05.07.2010 से पूर्व हुई है। उन लिपिको से टाईपराईटर यंत्र पर टंकण गति परीक्षा हेतु दिनांक 31.12.2016 से पूर्व ही आवेदन भरवाकर सम्पूर्ण पूर्ति उपरान्त भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर को अग्रेषित कर जमा करवाने हेतु पाबन्द कर निदेशालय को सूचित करें।

आपके अधीन कार्यरत दिनांक 05.07.10 से पूर्व के अनुकम्पानियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ लिपिक टंकण गति परीक्षा से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी कार्यालय अध्यक्ष की होगी इसके साथ ही उनसभी कनिष्ठ लिपिको को टंकण गति परीक्षा के संबध मे कार्मिक विभाग द्वारा प्रदान किये गये अंतिम अवसर का लाभ उठाने हेतु पर्याप्त तैयारी करने के संबध में भी समस्त जिम्मेदारी कार्यालय अध्यक्ष की होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार - 2 परिपत्र

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.1(3)(01)/स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/ 107115-129 जयपुर,दिनांकः 9.8.16

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. एसीपी मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
2. सम्बन्धित कनिष्ठ लिपिक .... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप कार्मिक(क–2) विभाग एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा दिये गये अतिम अवसर का लाभ उठाते हुए टाईप राईटर यंत्र पर टंकण गति परीक्षा की पूर्ण रूपेण तैयारी कर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर में अपना आवेदन पत्र कार्यालय से अग्रेषित करवाकर सम्पूर्ण पूर्ति के साथ व्यक्तिशः दिनांक 31.12.2016 से पूर्व ही जमा करवाकर परीक्षा में भाग लेकर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त आपको कभी भी टाईपराईटर यंत्र पर टंकण गति परीक्षा का अवसर प्रदान नही किया जायेगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर,ब्लॉक संख्या 8जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर

क्रमांक :-प.5(4)निभापुवि/जय/ट.प./12/ 763-589 जयपुर, दिनांक : 14/7/2016

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः-मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम,1996 के अन्तर्गत दिनांक 05.07.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिको द्वारा टाईपराईटर यंत्र पर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

प्रसंगः-कार्मिक(क-2)विभाग द्वारा जारी परिपत्र प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 24.06.2016

महोदय,

कार्मिक (क-2)विभाग के प्रासंगिक के द्वारा मृत राज्य कर्मचारियो के आश्रितों के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त (कनिष्ठ लिपिक) ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 05.07.10 से पूर्व हुई है तथा जिन्होने टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर देने का विकल्प चुना है और अभी तक टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है,को भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा आयोजित टंकण गति परीक्षा (टाईपराईटर पर) में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इस संबंध में पृथक से शिथिलता लेने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में किसी भी कार्मिक को टाईपराईटर यंत्र पर टंकण गति परीक्षा का विकल्प प्रदान नहीं किया जावेगा। इसके पश्चात् उत्तीर्ण होने से शेष रहे सभी कार्मिको को टंकण गति परीक्षा नियमानुसार शिथिलन प्राप्त कर कम्प्यूटर पर ही देनी होगी।

अतः उक्त परिपत्र की अनुपालना में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 05.07.2010 से पूर्व है एवं जिन्होने टाईपराईटर यंत्र

ममताशर्मा

पर टंकण गति परीक्षा देने का विकल्प चुना है, की विभाग द्वारा टाईपराईटर यंत्र पर अंतिम टंकण गति परीक्षा माह जनवरी,2016 के अंतिम सप्ताह में ली जावेगी। इस हेतु विभाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2016 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस अवसर की जानकारी तत्काल सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुँचाना और उन्हें टंकण परीक्षा के इस अंतिम अवसर का लाभ उठाने हेतु पर्याप्त तैयारी करने के संबंध में प्रेरित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

चित्रा।
(चित्रा गुप्ता)
निदेशक एवं
पदेन शासन उप सचिव

क्रमांक प.5(4)निभापुवि/जय./टं.प./2012/ 363-588 जयपुर,दिनांक 14/7/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर।
3. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर।
6. निजी सचिव,शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव,कार्मिक(क–2)विभाग,जयपुर को परिपत्र दिनांक 24.06.2016 के क्रम में।

ममता शर्मा
(डॉ.ममता शर्मा)
उप निदेशक(अनु.)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013

जयपुर, दिनांक : 24 JUN 2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय–मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 5.7.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

'राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996' के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की टंकण गति परीक्षा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(67)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 31.07.99 की अनुपालना में भाषा विभाग द्वारा आयोजित की जाती रही है। भाषा विभाग द्वारा दिनांक 5.7.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा, उनके विकल्पानुसार कम्प्यूटर अथवा टंकण यंत्र (टाईपराईटर) पर एवं दिनांक 5.7.2010 व इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा, कम्प्यूटर पर ली जाती रही है।

भाषा विभाग के परिपत्र दिनांक 09.05.2013 के अनुसार दिनांक 05.07.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर/कम्प्यूटर पर देने का विकल्प प्रदान किया गया था। चूंकि वर्तमान में दिनांक 5.7.2010 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त अनेक कार्मिकों द्वारा टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर ही देने का विकल्प चुना हुआ है । इनमें से कुछ कार्मिकों द्वारा उक्त नियम 1996 के नियम 9 में अपेक्षित टंकण गति परीक्षा अभी तक भी उत्तीर्ण नहीं की है जो कि उन्हें नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए थी। अतः ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 5.7.2010 से पूर्व हुई है तथा जिन्होंने टंकण परीक्षा टाईपराईटर पर देने का विकल्प चुना है और अभी तक नियमानुसार टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनको भाषा विभाग द्वारा आयोजित टंकण गति परीक्षा (टाईपराईटर पर) में सम्मिलित होने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। इस संबंध में पृथक से शिथिलता की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पश्चात भविष्य में किसी भी कार्मिक को टाईपराईटर पर टंकण गति परीक्षा का विकल्प प्रदान नहीं किया जावेगा क्योंकि इसके पश्चात

25/2016

उत्तीर्ण होने से शेष रहे सभी कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा कम्प्यूटर पर ही देनी होगी।

टंकण यंत्र (टाईपराईटर) पर अन्तिम परीक्षा का आयोजन भाषा विभाग द्वारा माह जनवरी 2017 में किया जावेगा जिसके लिए आवेदन 31 दिसम्बर, 2016 तक भरे जा सकेंगे। विस्तृत कार्यक्रम भाषा विभाग द्वारा जारी किया जावेगा। उसके पश्चात भाषा विभाग किसी भी कार्मिक को टंकणयंत्र पर परीक्षा की अनुमति नहीं देगा।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 5.7.2010 से पूर्व की है और जिन्होंने टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर दिये जाने का विकल्प चुना हुआ है, उनके आवेदन आवश्यक रूप से टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथि को भाषा विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर की जानकारी तत्काल सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुँचाना और उन्हें टंकण परीक्षा के इस अन्तिम अवसर का लाभ उठाने हेतु पर्याप्त तैयारी करने के संबंध में प्रेरित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

(भास्कर ए. सावन्त)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी पत्रावली संख्या 5(4)भा.पु.वि./जय./ट.प. (इस विभाग की आई.डी. 460 दिनांक 27.5.16) के क्रम में लेख है कि ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 5.7.2010 से पूर्व हुई है तथा जिन्होंने टंकण परीक्षा टाईपराईटर पर देने का विकल्प चुना है और अभी तक नियमानुसार टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन सभी कार्मिकों की परीक्षा टंकण यंत्र पर अन्तिम बार लिये जाने हेतु विस्तृत कार्यक्रम अपने स्तर पर जारी कर, उससे सभी विभागाध्यक्षों को तत्काल अवगत कराने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव

25/2016